



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250003

वेबसाइट : www.mdameerut.org.in



श्री अखिलेश यादव जी
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

शताब्दीनगर सेक्टर 10 में स्थित

एयरपोर्ट एन्क्लेव एवं रक्षापुरम फेस-1

सेक्टर 3 में स्थित 'रक्षा ग्रीन्स' योजना के अन्तर्गत में
निर्माणाधीन फ्लैट्स स्वचित्त पोषित योजना के अन्तर्गत
लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु पंजीकरण पुस्तिका

पंजीकरण दिनांक
05-02-2015 से
04-03-2015 तक



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250003 (उत्तर प्रदेश)

विशेष आकर्षण:

- विज्ञापित योजनायें राष्ट्रीय राज्य मार्ग-119, मेरठ बिजनौर रोड़ पर तथा राष्ट्रीय राज्य मार्ग-58 के समीप
- रक्षाग्रीन योजना के स्टील में प्रत्येक भवन के लिये कवर्ड कार पार्किंग।
- एच0डी0एफ0सी0 लि0 से ऋण की सुविधा।
- योजना का लाभ दिनांक 05-02-2015 से 04-03-2015 तक तक।
- आवंटन प्रक्रिया का अत्यन्त सरलीकरण।

स्थल सुविधायें:

- भव्य गेट, सुरक्षित बाउन्डी वाल व परिसर के आस-पास हरित क्षेत्र
- सड़क, सीवर, ड्रेनेज, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि सुविधाओं से युक्त
- पेड़-पौधों से सुसज्जित हरियाली की सुविधायुक्त
- सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण युक्त



मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ – 250003 (उ०प्र०)

की शताब्दीनगर सेक्टर 10 में स्थित एयरपोर्ट एन्कलेव एवं रक्षापुरम फेस-1, सेक्टर 3 में स्थित 'रक्षा ग्रीन्स' योजना के अन्तर्गत में निर्माणाधीन फ्लैट्स स्वःवित्त पोषित योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से आवंटन हेतु पंजीकरण पुस्तिका

1. योजना का नाम—
एयरपोर्ट एन्कलेव
रक्षापुरम फेस-1 रक्षाग्रीन

2. योजना का कोड—
एयरपोर्ट एन्कलेव — 15
रक्षापुरम फेस-1 रक्षाग्रीन — 04

3. सेक्टर कोड—
एयरपोर्ट एन्कलेव — 71
रक्षापुरम फेस-1 रक्षाग्रीन — 14

4. ग्राह्यता (पात्रता)–

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक व्यवस्क अर्थात् आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।

4.30 आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवस्यक बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास

प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्पूमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होने चाहिये।

4.40 जिन व्यक्तियों ने मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से पंजीकरण कराया हुआ है तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा कराकर आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा।

4.50 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो उस व्यक्ति को, आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को छोड़कर शेष सम्पत्तियों में जमा की गयी धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

5. आवेदन कैसे करें—

5.10 आवेदन-पत्र केवल निर्धारित प्रारूप-पत्र जो विवरण पुस्तिका में संलग्न है, पर व रुपये 10/- का शपथ पत्र के साथ में ही लिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को फ्लैट के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित व समाज के विकलांग) के किशतों आवेदकों को कीमत का 5% पंजीकरण धनराशि तथा नगद भुगतान के आवेदकों को कीमत का 12.5% पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी तथा नकद भुगतान के शेष आवेदकों को कीमत का 25 प्रतिशत धनराशि का बैंक



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250003 (उत्तर प्रदेश)

अथवा पे-आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के नाम देय हो। पंजीकरण धनराशि की जमा की रसीद संलग्न न होने पर, आवेदन पत्र अपूर्ण होने अथवा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट (www.mdameerut.org.in) से प्राप्त की गयी विवरण पुस्तिका व पंजीकरण आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों को, पंजीकरण आवेदन पत्र उपयोग में लाने पर रुपये 500/- प्रति विवरण पुस्तिका व निर्धारित पंजीकरण धनराशि एच0डी0एफ0सी0 बैंक की विज्ञापित शाखाओं में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी।

5.20 आवेदकों को अपना आवेदन पत्र पूर्ण कर अपेक्षित पंजीकरण धनराशि सहित विज्ञापित बैंक में जमा करना होगा जिस बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।

5.30 आवेदन एक से अधिक अथवा संयुक्त नामों से नहीं किया जा सकता है, किन्तु पति-पत्नी द्वारा संयुक्त नाम से आवेदन करने की छूट होगी। पंजीकरण धनराशि का विवरण संलग्नक एक में उल्लिखित हैं। आवेदन पत्र सहित विवरण पुस्तिकाये रुपये 500/- के भुगतान पर एच0डी0एफ0सी0 बैंक:-

- (1) 171/1, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ मो0नं0 09358214343
- (2) 381, वैस्ट्रन कचहरी रोड़, मेरठ
- (3) शील पैलेस दिल्ली रोड़ मेरठ
- (4) 6, रॉयल प्लाजा, रुड़की रोड़, पल्लवपुरम, मेरठ
- (5) जी0एफ0 'ओ' एण्ड 'एच' नई दिल्ली-11, डी0सी0एम0 बिल्डिंग बारहा खम्बा रोड़, नई दिल्ली-110001
- (6) डी-118, सेक्टर 26, नोएडा
- (7) आर0डी0सी0 सेन्टर, राजनगर, गाजियाबाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, हापुड़, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बागपत, शामली व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ श्री भूमेश कुमार, मो0नं0

09358214343 से जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहित उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायेंगे।

6. आवंटन प्रक्रिया-

6.10 योजना के ड्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैनुअल प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर फ्लैट का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी फ्लैट विशेष हेतु भी क्लेम स्वीकार नहीं होगा। नकद भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी पद्धति से आरक्षण के आधार पर किया जायेगा।

6.20 प्राधिकरण किसी ऐसी धनराशि पर ब्याज के लिये उत्तर दायी नहीं होगा जो बैंक अथवा जमा कर्ता की त्रुटि से प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं हुई हो।

6.30 यदि किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण आवेदन पत्र भरते समय तथ्यों को छुपाया जाता है तो उसका पंजीकरण आवेदन पत्र/आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है और जमा की गयी समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6.40 प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख आवंटी द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

6.50 आवंटन स्वीकार करने के उपरान्त सम्पत्ति की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में कोई विवाद/आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

6.60 आवेदक द्वारा किसी कारणवश सम्पत्ति के लाटरी ड्रा से आवंटन पश्चात् आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व, आवंटन स्वीकार न कर जमा धनराशि की माँग किये जाने पर जमा आवेदन धनराशि 20 प्रतिशत कटौती के उपरान्त वापस की जायेगी।

6.70 आवंटी को फ्लैट के आवासीय प्रयोग की अनुमति होगी अन्य किसी उपयोग की नहीं। आवासीय प्रयोग के अतिरिक्त, यदि आवंटी द्वारा फ्लैट का अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बेदखली की कार्यवाही की जायेगी।

शताब्दीनगर सेक्टर 10 में स्थित एयरपोर्ट एन्क्लेव एवं रक्षापुरम फेस-1

सेक्टर 3 में स्थित 'रक्षा ग्रीन्स' योजना के अन्तर्गत में निर्माणाधीन फ्लैट्स स्व:वित्त पोषित योजना

6.80 प्रत्येक आवेदनकर्ता को प्राधिकरण फ्लैट देने के लिये बाध्य नहीं है। यदि किसी आवेदक को वांछित फ्लैट नहीं मिल पाता है, तो वह इसके लिये प्राधिकरण से किसी प्रकार का मुआवजा/क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. आरक्षण कोटा-

शासन द्वारा वर्तमान में आरक्षण निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र०सं.	वर्ग	प्रतिशत	कोड
1.	अनुसूचित जाति	21	02
2.	अनुसूचित जन जाति	02	03
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	04
4.	विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	05	08 07
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो रक्षा कर्मी सरकारी कर्मी	05	{ 05 06
6.	उ०प्र० आवास एवम् विकास परिषद, विकास प्राधिकरण जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी उ०प्र० विकास प्राधिकरण कर्मचारी उ०प्र० नगर निगम कर्मचारी उ०प्र० जल संस्थान कर्मचारी उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद	02	{ 09 11 12 13
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03	14

7.10 विकलांग आवेदकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 3 प्रतिशत होरिजेन्टल विकलांग श्रेणी के भवन/फ्लैट्स के लाटरी ड्रा में सर्व प्रथम 01 प्रतिशत आरक्षण प्राथमिकता के आधार दृष्टिबाधित (Visually Impaired) आवेदकों को प्रदान किया जायेगा। यदि विकलांग कोटे में एक मात्र एक ही भवन/फ्लैट आता है तो वह प्राथमिकता पर दृष्टिबाधित आवेदक को यथावश्यकता लाटरी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा तथा समाज के वरिष्ठ नागरिकों को प्रत्येक श्रेणी के कोटे में 10 प्रतिशत होरिजेन्टल आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। अतः आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र तथा विरिष्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षण कोटा भरना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के आवेदक कोटा कोड 15 भरें।

7.20 यदि आवेदक एक से अधिक आरक्षण श्रेणी में आता है तो कृपया वह स्वयम् निश्चित कर लें कि वे कौन सी एक आरक्षण श्रेणी का लाभ पाना चाहते हैं, उस आरक्षित श्रेणी का ही उल्लेख करें। यदि आरक्षित श्रेणी के आवेदक समुचित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जायेगा।

7.30 आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8 भुगतान प्रक्रिया-

फ्लैट्स की श्रेणीवार उपलब्धता, अनुमानित मूल्य, आवेदन राशि का विवरण पुस्तिका में संलग्न तालिका में दिया गया है। फ्लैट्स का आवंटन योजना के अन्तर्गत लाटरी पद्धति से किया जायेगा। किश्तों का विकल्प देने वाले आवेदकों को आवंटन के पश्चात् आवंटन धनराशि के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि, आवंटन पत्र जारी दिनांक से एक माह के अन्दर तथा शेष धनराशि विवरण तालिका के अनुसार जमा करनी होगी। एक मुश्त भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों को फ्लैट की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि (पंजीकरण धनराशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन पत्र निर्गत होने के तिथि से 45 दिन में अदा करनी होगी। किश्तों का विकल्प देने वाले आवेदकों को स्व: वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किश्तों में भुगतान करना होगा।



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250003 (उत्तर प्रदेश)

8.10 भुगतान विधि तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि वाँछित आवंटन धनराशि अदा न करने की दशा में आवंटियों को विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। किन्तु आवंटन धनराशि निर्धारित एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त, अगले एक माह में उपरोक्तानुसार दण्ड ब्याज के साथ अदा न करने पर 2 या 2 से अधिक किश्तें डिफाल्ट करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

8.20 फ्लैट्स की कीमत अनुमानित है जिनका पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन किया जायेगा तथा जिसके वास्तविक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटि को अवगत कराया जायेगा।

8.30 तालिका में उल्लिखित रक्षापुरम योजना फेस-1, रक्षाग्रिनी आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग श्रेणी कुल 78 फ्लैट्स जिसके स्टिल्ट पर पार्किंग की सुविधा एवं जिनकी तलवाईज अनुमानित कीमत अलग-अलग (प्रथम तल रुपये 25,90,000/- तथा द्वितीय तल रुपये 24,50,000/- व तृतीय तल रुपये 24,50,000/- एवं चतुर्थ तल रुपये 23,10,000/- है

तथा

शाब्दीनगर एयरपोर्ट एन्कलेव में 2 बैडरूम+स्टडी रूम श्रेणी के कुल 47 फ्लैट भूतल+प्रथम तल+द्वितीय तल+तृतीय तल सहित है जिनकी तलवाईज अनुमानित कीमत अलग-अलग (भूतल रुपये 2300000/-, प्रथम तल रुपये 2200000/- तथा द्वितीय तल रुपये 2200000/- व तृतीय तल रुपये 2200000/- है व "टाईप-ए 2 बैडरूम" श्रेणी के कुल 156 फ्लैट भूतल+प्रथम तल+द्वितीय तल+तृतीय तल सहित है जिनकी तलवाईज अनुमानित कीमत अलग-अलग (भूतल रुपये 2000000/-, प्रथम तल रुपये 1800000/- तथा द्वितीय तल रुपये 1800000/- व तृतीय तल रुपये 1800000/- है व "टाईप-बी 2 बैडरूम" श्रेणी के कुल 84 फ्लैट भूतल+प्रथम तल+द्वितीय तल+तृतीय तल सहित है जिनकी तलवाईज अनुमानित कीमत अलग-अलग (भूतल रुपये 2100000/-, प्रथम तल रुपये 1900000/- तथा द्वितीय तल रुपये 1900000/- व तृतीय तल रुपये 1900000/- है।

8.40 प्राप्त पंजीकरण आवेदन पत्रों के सापेक्ष विज्ञापित श्रेणीवार सभी तलों के फ्लैटों का लाटरी ड्रा किया जायेगा। लाटरी ड्रा के माध्यम से घोषित परिणाम के अन्तर्गत फ्लैट जिस तल का भी होगा, प्रत्येक फ्लैट व उसका तल व कीमत दर्शाते हुए आवंटन पत्र जारी किये जायेगे जो तदनुसार देय होगी तथा आवेदकों को स्वीकार होगा।

8.50 देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।

9. पैनल ब्याज-

यदि मेरठ विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं किया जाता है तो विलम्ब अवधि के लिये 20 प्रतिशत अतिरिक्त चक्रवृद्धि दण्ड ब्याज देय होगा। फ्लैट के किश्तें आरम्भ हो जाने के पश्चात् न्यूनतम 2 किश्तों की अदायगी समय से अदा न किये जाने की दशा में आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. कब्जा-

10.10 आवंटि को फ्लैट्स के निर्माण एवं उसके सम्मुख विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार फ्लैट्स में निहित भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैट्स मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि व देय दस्तावेजश शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटि के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निबन्धित कराये जाने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटि) को वहन करना होगा।

10.20 आवंटि को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लाये जाते हैं, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना होगा।

10.30 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्च पर लेगा।

10.40 यदि आवंटी द्वारा विलेख के निष्पादन कराने के पश्चात् कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को 500/- प्रति माह चौकीदारा शुल्क देना होगा।

11 निबन्धन प्रक्रिया—

आवंटी को फ्लैट्स के निर्माण एवं उसके सम्मुख समुचित विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार फ्लैट में निहित भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट की धनराशि, फ्लैट का मूल्य का पूर्ण भुगतान तथा पानी सीवर मद में देय धनराशि व देय दस्तावेज शुल्क जमा कराते हुए नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर आवंटी के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का पट्टा विलेख तथा स्ट्रक्चर मूल्य का विक्रय विलेख निबन्धित किया जायेगा। विलेख एवं निबन्धन का समस्त व्यय आवेदनकर्ता (आवंटी) को वहन करना होगा।

12. समर्पण तथा निरस्तीकरण की दशा में धन की वापसी—

यदि कोई आवेदक अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहे तो निम्नानुसार रिफण्ड प्रकरण निस्तारित किया जायेगा:—

(अ) लाटरी आवंटन होने से पूर्व जमा धनराशि की मूल रसीद पंजीकरण तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना कटौती, बिना ब्याज और प्राधिकरण खाते में एक वर्ष से अधिक जमा रहने के उपरान्त 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

(ब) आवंटन पत्र निर्गत होने अथवा लाटरी सम्पन्न होने के बाद जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किन्तु अगली 10 प्रतिशत धनराशि जमा होने से पूर्व, प्रथम जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(स) आवंटन धनराशि जमा होने के बाद किन्तु कब्जा प्राप्त करने से पूर्व, कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती करके, बिना ब्याज के शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

(द) आवंटन के पश्चात् यदि फ्लैट का कब्जा हस्तगत हो गया है तो कुल जमा धनराशि का 15 प्रतिशत कटौती के साथ-साथ फ्लैट के रिफण्ड प्रार्थना पत्र एवम् निरस्तीकरण आदेशों के जो भी तिथि पहली होगी तक देय किशतों में से टूटती किशतों में सम्मिलित ब्याज की धनराशि की कटौती उपरान्त यदि कोई धनराशि आवेदनकर्ता को दिये जाने हेतु शेष बचती है तो बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

13. निरस्तीकरण उपरान्त बहाली प्रक्रिया—

फ्लैट के निरस्तीकरण उपरान्त यदि आवेदक फ्लैट का आवंटन पुनर्जिवित (बहाली) निरस्तीकरण दिनांक से एक माह के अन्दर कराना चाहे तो फ्लैट के आवंटन की बहाली के समय योजना में लागू वर्तमान मूल्य पर फ्लैट बहाल किया जा सकेगा।

14.00 मिथ्या आवेदन अथवा तथ्यों का छुपाना—

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं और उसने किसी वास्तविक तथ्य को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ-साथ फ्लैट का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाले झूठ से वंचित कर दिया जायेगा एवं पंजीकरण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

15. अन्य सूचनायें / शर्तें—

15.10 आवेदक को विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होगी एवम् भविष्य में अनुपालन करना होगा तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन करना होगा।

15.20 यदि प्राधिकरण की योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात् भूमि अर्जन अधिनियम-1894 (यथा संशोधित) की धारा-28 ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषकों की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में योजना के आवंटित फ्लैट में निहित भूमि का मूल्य बढ़ता है तो वह आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250003 (उत्तर प्रदेश)

करने की स्थिति में समस्त बकाया एवम् देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जायेगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।

15.30 यदि किसी समय यह पाया गया कि आवेदक ने गलत सूचनायें देकर अथवा तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया है अथवा आवंटन कब्जा प्राप्त कर लिया है या अन्य कोई सुविधा प्राप्त कर ली है तो आवेदक द्वारा जमा की गयी आवेदन/आवंटन धनराशि को शत-प्रतिशत जब्त करते हुए फ्लैट के मूल्य के विपरीत जमा की गयी अन्य जमा धनराशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।

15.40 आवेदन उपरान्त पते में परिवर्तन की दशा में आवेदन पत्र की संख्या सहित एतद्विषयक सूचना आवेदक द्वारा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को देनी होगी। मूल आवेदन में पता गलत/अपूर्ण अंकित होने अथवा संशोधन समय से सूचित न करने की दशा में प्राधिकरण द्वारा किये पत्राचार की जानकारी आवेदक/आवंटी को होने वाली क्षति के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।

15.50 तालिका में उल्लिखित फ्लैट्स के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

15.60 आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विवाद मेरठ स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

15.70 आवेदन प्रक्रिया, आवंटन, धन वापसी आदि किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इस पुस्तिका में उल्लिखित शर्तों में अथवा अन्य किसी स्थान पर एतद् विषयक वर्णित किसी भी शर्त/नियम को शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा जो कि आवेदक/आवंटी को मान्य होगा।

15.80 इस योजना में फ्लैट्स की दी गयी कीमत, क्षेत्रफल व उनकी संख्या अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

15.90 परिसर का रख-रखाव दो वर्ष तक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। दो वर्ष की अवधि के पश्चात् आवंटियों द्वारा नियमानुसार रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाईटी का गठन करते हुए उसके द्वारा रख-रखाव किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाईटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

16.00 इस योजना के अन्तर्गत यदि किसी विवाद पर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो वह आवंटी को मान्य होगा।

16.10 सर्विस टैक्स अदा करने का दायित्व आवंटी का होगा।

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

शताब्दीनगर सेक्टर 10 में स्थित एयरपोर्ट एन्क्लेव एवं रक्षापुरम फेस-1

सेक्टर 3 में स्थित 'रक्षा ग्रीन्स' योजना के अन्तर्गत में निर्माणाधीन फ्लैट्स स्व:वित्त पोषित योजना

मेरठ की योजनाओं में निर्माणाधीन फ्लैट्स का पंजीकरण दिनांक 05-02-2015 से 04-03-2015 तक सम्पत्तियों की विवरण तालिका

श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गमी०में)	अनुमानित मूल्य (रुपये में)	किश्तों में भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि		नकद भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि		शेष देय धनराशि की किश्तों का विवरण
				पंजीकरण धनराशि 10% (रुपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (रुपये में)	पंजीकरण धनराशि 25% (रुपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 12.5% (रुपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शताब्दीनगर, सेक्टर 10 में स्थित एयरपोर्ट एन्क्लेव स्व:वित्त पोषित योजना, (जी+3फ्लैट)								
2बैडरूप+स्टडी रूप	47	99.40	23.00	2.30	1.15	5.75	2.88	शेष धनराशि बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किश्तों में
टाईप ए 2 बैडरूप फ्लैट	156	81.15	20.00	2.00	1.00	5.00	2.50	शेष धनराशि बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किश्तों में
टाईप बी 2 बैडरूप फ्लैट	84	86.10	21.00	2.10	1.05	5.25	2.63	शेष धनराशि बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किश्तों में
रक्षापुरम फेस-1, सेक्टर 3 में स्थित रक्षाग्रीन स्व:वित्त पोषित योजना में 4 मंजिला फ्लैट								
मध्यम आय वर्ग	78	71.88	25.90	2.59	1.30	6.48	3.24	शेष धनराशि बिना ब्याज की 2 वर्ष की 8 तिमाही समान किश्तों में

1. एक मुश्त भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों को फ्लैट की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि (पंजीकरण धनराशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन पत्र निर्गत होने के तिथि से 45 दिन में अदा करनी होगी।
2. किश्तों का विकल्प देने वाले आवेदकों को आवंटन पत्र जारी करने के दिनांक से 1 माह की अवधि के अन्दर फ्लैट की कीमत का 10 प्रतिशत आवंटन धनराशि जमा करनी होगी।
3. उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी प्रविष्टियाँ अनुमानित आधार पर हैं, जो परिवर्तनीय हैं। फ्लैट्स की संख्या एवं क्षेत्रफल व कीमत में परिवर्तन हो सकता है।
4. फ्लैट्स पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन किया जायेगा। फ्लैट के वास्तविक मूल्यांकन के उपरान्त अन्तिम मूल्य से आवंटन की अवगत कराया जायेगा।
5. तालिका में उल्लिखित पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, अपने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।
6. देय धनराशि का भुगतान, बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करने की दशा में धनराशि के प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही आधार माना जायेगा।
7. यदि आवंटित फ्लैट्स में निहित भूमि का क्षेत्रफल, उपरोक्त स्टैंडर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित कीमत देय होगी और किसी फ्लैट के साथ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्रचलित नियमों के अनुसार मूल्य पृथक से देय होगा।
8. तालिका में उल्लिखित फ्लैट के पंजीकरण के सापेक्ष प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के हितबद्ध आवेदक कृपया नियत लाटरी ड्रा तिथि को अपनी जमा पंजीकरण/आवेदन धनराशि की मूल रसीद लेकर ही लाटरी ड्रा में शामिल होने हेतु उपस्थित होवे अन्यथा ऐसे आवेदकों, जिनके पास, जमा धनराशि की मूल रसीद उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें लाटरी ड्रा में शामिल होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
9. आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी योजनाधिकारी (दूरभाष सं० 0121- 2665965, 2643120 व 2649199) से प्राप्त की जा सकती है।



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250003 (उत्तर प्रदेश)

(आवेदक द्वारा यह शपथ पत्र रुपये 10/- के जनरल स्टाम्प पर टंकित कराकर नोटरी से प्रमाणित कराकर अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।)

शपथपत्र

समक्ष : उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

नोटरी द्वारा
सत्यापित
पासपोर्ट साईज
फोटो

यह कि मेरा नाम पुत्र है तथा का निवासी हूँ तथा मेरी आयु लगभग वर्ष है।

मैं शपथ पूर्वक निम्न शपथ लेता हूँ:-

- 1 यह कि मैंने मेरठ विकास प्राधिकरण की सम्पत्ति आवंटन सम्बन्धी नियमों, दशाओं एवम् विशेष सूचनाओं को स्पष्टतः समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता हूँ।
- 2 यह कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी, अवयस्क बच्चों एवम् मुझ पर आश्रित सम्बन्धी ने पूर्व में मेरठ विकास प्राधिकरण की किसी योजना के अन्तर्गत पंजीकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र नहीं किया है और यदि पूर्व में पंजीकरण/आवेदन कराया है तो इस योजना के अन्तर्गत आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद पूर्व पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 3 यह कि आवेदक या उसके परिवार (पति, पत्नी एवम् अवयस्क बच्चों के पास) के पास मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ, आवास एवम् विकास परिषद, मेरठ, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में कोई अपना अन्य भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास एवम् विकास परिषद, इम्प्लूमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं है। यदि इस तथ्य में आवेदन करते समय अथवा आवेदित सम्पत्ति के आवंटन उपरान्त असत्यता पायी जाती है तो पंजीकरण/आवेदन के निरस्त होने अथवा आवंटित सम्पत्ति का आवंटन निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4 यह कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये है तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का अधिकार होगा जो मेरठ विकास प्राधिकरण उचित समझे।

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

यह कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से 4 तक किया गया कथन मेरे निजी ज्ञान में सत्य है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक :

प्रमाणित स्थान-

हस्ताक्षर शपथकर्ता।

शताब्दीनगर सेक्टर 10 में स्थित एयरपोर्ट एन्क्लेव एवं रक्षापुरम फेस-1

सेक्टर 3 में स्थित 'रक्षा ग्रीन्स' योजना के अन्तर्गत में निर्माणाधीन फ्लैट्स स्व:वित्त पोषित योजना

आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

1. आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे।
2. आवेदक (य) द्वारा आवेदन पत्र में कोड आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तराष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नं० को ही अभिलेखों में लिया जायेगा।
3. इन आवेदन पत्रों को एक कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जायेगा। अतः इन फार्मों को केवल हिन्दी/अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
5. आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवेदक को सम्पत्ति कोड नहीं मिलता है फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।
- 6.00 डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना मेरठ विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
- 7.00 आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।
- 7.01 मद-2 : योजना का नाम : कृपया योजना का नाम तथा कोड भरे।
- 7.02 सम्पत्ति श्रेणी : कृपया सम्पत्ति श्रेणी तथा कोड भरे एवं क्षेत्रफल भरे।
- 7.30 सम्पत्ति विवरण : कृपया सम्पत्ति विवरण तथा कोड भरे।
- 7.40 भुगतान योजना : कृपया योजना तथा कोड भरे।
- 7.50 सेलुशन : कृपया सेलुशन तथा कोड भरे।
- 7.60 नाम, पता एवं पिनकोड : ये स्वयं सुस्पष्ट हैं।
- 7.05 आयु : इस मद में आयु वर्षों में लिखें उदाहरणार्थ 32 वर्ष। (किसी 1 वर्ष का कोई अंश न लिखा जाए)
- 7.06 लिंग : इस मद में कोड तालिका से देखकर कोड भरे।
- 7.07 वैवाहिक स्थिति : इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो कोड तालिका से देखकर ध्यानपूर्वक भरे।
- 7.08 कोटा कोड : जैसा कि अनुच्छेद 7.00 में विवरण दिया गया है जिसके अनुसार आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गई है।
कृपया अपनी आरक्षित श्रेणी का कोटा नम्बर लिखें। यदि आप एक से अधिक आरक्षित वर्ग में आते हैं तो केवल वही कोड लिखें जिसमें आप रहना चाहते हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है, कोटा के विरुद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण पत्र संलग्न करें। अन्यथा आपका आवेदन पत्र सामान्य श्रेणी में समझा जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कोड के स्थान पर 15 कोड भरना चाहिए।
- ख) आरक्षण श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 7.09 व्यवसाय कोड : यह कोड तालिका से भरे।
- 7.10 भुगतान योजना कोड : भुगतान योजना कोड में किस्तों में भुगतान हेतु कोड भरें।
- 8.00 आवेदक के हस्ताक्षर : ये स्वयं सुस्पष्ट हैं। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- 9.00 योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पता परिवर्तन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- नोट : सभी प्रकार के कोड, कोड तालिका से ध्यानपूर्वक देखकर भरें।
कृपया आवेदन फार्म में सम्पत्ति कोड स्पष्ट अंकों में भरें।

कोड तालिका

योजना कोड 15 एयरपोर्ट एन्क्लेव 04 रक्षापुरम फेस-1 रक्षाग्रीन	सम्पत्ति विवरण 12-फ्लैट	भुगतान कोड 01 किस्तों में 02 नकद
<u>वैवाहिक स्तर</u> 01 वैवाहिक 02 अविवाहित 03 विधवा 04 अन्य	<u>सम्पत्ति श्रेणी कोड</u> 723 दो बैड रुम 724 दो बैड रुम 722 दो बैड रुम+स्टडी रुम 334 मध्यम आय वर्ग	<u>सेलुशन कोड</u> 01 श्री 02 श्रीमती 03 कुमारी 04 संयुक्त
		<u>पिता/पति कोड</u> 01 पिता 02 पति
<u>व्यवसाय कोड</u> 01 वकील 02 व्यवसायिक 03 डॉक्टर 04 इन्जीनियर 05 किसान	06 सरकारी कर्मचारी 07 गृहणी 08 अर्ध सरकारी कर्मचारी 09 विद्यार्थी 10 अन्य	<u>लिंग कोड</u> 01 पुरुष 02 स्त्री

MEERUT (U.P.) 250003

APPLICATION FOR REGISTRATION

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/BLOCK LETTERS

राजपत्रित अधिकारी
या नोटरी पब्लिक
द्वारा सत्यापित फोटो
चिपकार

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 05.02.2015 से 04.03.2015

PROPERTY SECTION COPY

चालान फार्म सं० आवेदन पत्र सं०
Challan Form No. Form No.

योजना का नाम
Scheme Name

प्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
Flat Area (in Sq.Mtr)

सम्पत्ति श्रेणी
Property Category

सम्पत्ति विवरण
Property Description

भुगतान योजना
Payment Plan

कोटा कोड
Quota Code

नाम (हिन्दी में)
Name (in Block Letters)

पिता/पति का नाम
Father's/Husband's Name

पत्र व्यवहार का पता
Address for Correspondence

जिला
District

पिन
Pin

मोबाइल
Mobile

आवेदक का बैंक खाता सं०
Applicant's Bank A/C No.

बैंक का नाम
Bank Name

बैंक का ब्रांच कोड
Bank Branch Code

बैंक का IFC कोड
Bank IFC Code

जमा की गई धनराशि
Amount Deposited Rs.

पेऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट सं०
Pay Order/Demand Draft No.

दिनांक
Date

Received a sum of Rs.

On behalf of Vice-Chairman, Meerut Development Authority,

Meerut vide DD/PO No.

Dated

Date Receipt

D D M M Y Y Y Y

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/BLOCK LETTERS

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 05.02.2015 से 04.03.2015

ACCOUNTS SECTION COPY

चालान फार्म सं० आवेदन पत्र सं०
Challan Form No. Form No.

योजना का नाम
Scheme Name

प्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
Flat Area (in Sq.Mtr)

सम्पत्ति श्रेणी
Property Category

सम्पत्ति विवरण
Property Description

भुगतान योजना
Payment Plan

कोटा कोड
Quota Code

नाम (हिन्दी में)
Name (in Block Letters)

पिता/पति का नाम
Father's/Husband's Name

पत्र व्यवहार का पता
Address for Correspondence

जिला
District

पिन
Pin

मोबाइल
Mobile

आवेदक का बैंक खाता सं०
Applicant's Bank A/C No.

बैंक का नाम
Bank Name

बैंक का ब्रांच कोड
Bank Branch Code

बैंक का IFC कोड
Bank IFC Code

जमा की गई धनराशि
Amount Deposited Rs.

पेऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट सं०
Pay Order/Demand Draft No.

दिनांक
Date

Received a sum of Rs.

On behalf of Vice-Chairman, Meerut Development Authority,

Meerut vide DD/PO No.

Dated

Date Receipt

D D M M Y Y Y Y

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/BLOCK LETTERS

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 05.02.2015 से 04.03.2015

BANK COPY

चालान फार्म सं०
Challan Form No.

आवेदन पत्र सं०
Form No.

योजना का नाम
Scheme Name

Code

फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
Flat Area (in Sq.Mtr)

सम्पत्ति श्रेणी

Property Category

Code

सम्पत्ति विवरण

Property Description

Code

भुगतान योजना

Payment Plan

Code

कोटा कोड

Quota Code

Code

नाम (हिन्दी में)

Name (in Block Letters)

Saluation Code

पिता / पति का नाम

Father's/Husband's Name

Saluation Code

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence

जिला

District

पिन

Pin

मोबाइल

Mobile

राज्य

State

दूरभाष सं०

Telephone No.

आवेदक का बैंक खाता सं०

Applicant's Bank A/C No.

बैंक का नाम

Bank Name

बैंक का ब्रांच कोड

Bank Branch Code

बैंक का IFC कोड

Bank IFC Code

जमा की गई धनराशि

Amount Deposited Rs.

पेऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट सं०

Pay Order/Demand Draft No.

दिनांक

Date

Received a sum of Rs.

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

On behalf of Vice-Chairman, Meerut Development Authority,

Meerut vide DD/PO No.

Dated

Drawn on.

Date Receipt

D D M M Y Y Y Y

Seal

Signature of the Bank

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/BLOCK LETTERS

मेरठ विकास प्राधिकरण

पंजीकरण दिनांक 05.02.2015 से 04.03.2015

APPLICANT COPY

चालान फार्म सं०
Challan Form No.

आवेदन पत्र सं०
Form No.

योजना का नाम
Scheme Name

Code

फ्लैट का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
Flat Area (in Sq.Mtr)

सम्पत्ति श्रेणी

Property Category

Code

सम्पत्ति विवरण

Property Description

Code

भुगतान योजना

Payment Plan

Code

कोटा कोड

Quota Code

Code

नाम (हिन्दी में)

Name (in Block Letters)

Saluation Code

पिता / पति का नाम

Father's/Husband's Name

Saluation Code

पत्र व्यवहार का पता

Address for Correspondence

जिला

District

पिन

Pin

मोबाइल

Mobile

राज्य

State

दूरभाष सं०

Telephone No.

आवेदक का बैंक खाता सं०

Applicant's Bank A/C No.

बैंक का नाम

Bank Name

बैंक का ब्रांच कोड

Bank Branch Code

बैंक का IFC कोड

Bank IFC Code

जमा की गई धनराशि

Amount Deposited Rs.

पेऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट सं०

Pay Order/Demand Draft No.

दिनांक

Date

Received a sum of Rs.

आवेदक के हस्ताक्षर

Signature of Applicant

On behalf of Vice-Chairman, Meerut Development Authority,

Meerut vide DD/PO No.

Dated

Drawn on.

Date Receipt

D D M M Y Y Y Y

Seal

Signature of the Bank

PLEASE FILL UP THE FORM IN CAPITAL/BLOCK LETTERS

घोषणा DECLARATION

1. मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैंने / हमने मेरठ विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है एवं मैं / हम उनका पालन करूँगा / करेंगे।
2. यदि मैं / हम बिक्री के लिए भवन / प्लैट का आवंटन स्वीकार नहीं करता हूँ / करते हैं तब मैं / हम मेरठ विकासप्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूँगा / करेंगे।
3. मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किया गया भवन / प्लैट मुझे / हमें प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगा। मुझे / हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति / विवाद नहीं होगा।
4. मैं सहमत हूँ कि मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के मध्य किसी प्रकार के विवाद को निपटाने का क्षेत्राधिकार मेरठ न्यायालय का होगा एवं अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार मेरठ विकास प्राधिकरण एवं आवेदक के इकरारनामे के अनुसार मान्य नहीं होगा।
1. I/We declare that I/We have read the rules of the Meerut Development Authority, Meerut regarding the above scheme and shall abide by them.
2. If I/We do not accept the allotment of the home/flat for sale, then I/We shall accept the forfeiture/deductions made by MDA under the rules.
3. The home/flat allotted to me by MDA shall be acceptable to me /us under any circumstances on "as is where is basis" and I/We shall have no objection or dispute of any kind.
4. I/We agree that in case of dispute if any between MDA and the applicant, the Meerut Court will have exclusive jurisdiction and the jurisdiction of all other courts will be debarred by the contract with MDA.

Date :

Place

आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of the applicant

नमूना हस्ताक्षर SPECIMEN SIGNATURE(S)

Name

नाम

Sole of First Applicant

(एकल अथवा प्रथम आवेदक)

Signature

हस्ताक्षर 1. 2.

For Office Use Only RESERVATION

Applicant successful in draw held on

One plot reserved

Allottee Code

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Signature

ALLOTMENT

Applicant has been allotted plot No.

Property Code :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- नोट :
1. कृपया आवेदन पत्र अंग्रेजी में ही भरें, चूंकि ये फार्म कम्प्यूटर द्वारा प्रोसेस किये जायेंगे। यदि आपने फार्म हिन्दी में भरा हो तो उसका अनुवाद करते समय हुई भूल के लिए मे.वि.प्रा. जिम्मेदार नहीं होगा।
 2. कृपया चालान फार्म में ड्राफ्ट नं0 तथा बैंक का पूरा नाम अवश्य भरें।
 3. आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नों को चिपकाने का कष्ट करें। इससे आपके संलग्नक फार्म से अलग नहीं होंगे।

आपकी लोन की तलाश यहां खत्म होती है!



अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रतिनिधि से संपर्क करें !



Location Map



₹ 500/-



मेरठ विकास प्राधिकरण

सिविल लाइन्स, विकास भवन, मेरठ - 250003

वेबसाइट : www.mdameerut.org.in